न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल,

(260) सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

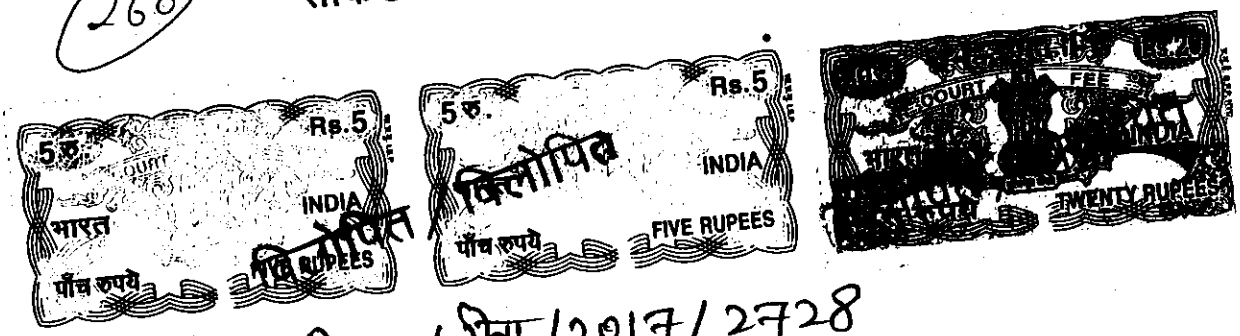

5 रु. Rs.5 INDIA भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
COURT FEE Rs.20 INDIA TWENTY RUPEES

निरोपित / विलोपित

/निग0/रीवा/2017/2728

1– विनोद कुमार आहूजा तनय स्व0 अर्जुनदास आहूजा

2– मनोहरलाल आहूजा तनय स्व0 अर्जुनदास आहूजा

3– ज्योति आहूजा पत्नी स्व0 प्रकाश आहूजा

4– रवी आहूजा तनय स्व0 प्रकाश आहूजा

5– मनीष आहूजा तनय स्व0 प्रकाश आहूजा

निवासीगण रानी तालाब, सिन्धी कॉलोनी, गेट नं0–02, वार्ड नं0–38, रीवा तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

आवेदकगण की ओर से श्री एम.एन. त्रिपाठी एड. द्वारा पेश। 18.8.17.
18.8.17

———————निगरानीकर्तागण / रेस्पाडेन्टगण

बनाम्

राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

1– रंजीत आहूजा तनय स्व0 मोहनदास आहूजा निवासी नगरिया तरहटी रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

2– शंकरलाल तनय साजनदास, निवासी रानीतालाब रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

3– शंकर साहनी तनय गोविन्दराम साहनी, निवासी सिन्धी कैम्प, तोपखाना वार्ड नं0–44, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

4– दीपचन्द्र तनय प्रेमामल उर्फ डेंगामल (मृत) द्वारा वारिसान

अ– नरेवन्दराम पिता स्व0 दीपचन्द्र आहूजा

ब– रेवाचन्द्र तनय स्व0 दीपचन्द्र आहूजा

स– राजकुमार तनय स्व0 दीपचन्द्र आहूजा

तीनो निवासी मोहल्ला अमहिया, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

5– प्रहलाद राय तनय स्व0 मोतीराम

6– किशनचन्द्र तनय स्व0 मोतीराम

18/8/2017

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/रीवा/भूरा/2017/2728

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/रीवा/भूरा/2017/2728

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
30.8.17	आवेदकगण के अधिवक्ता एम0 ए0 सिद्दीकी उपस्थित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1243/अपील/1978–79 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 5.8.2017 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.9.2010 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा के न्यायालय में अपील कमांक 29/अ–6/2016–17 दायर किया था जिसमें उभयपक्षों की सुनवाई उपरांत निगरानीकर्तागण के हक में दिनांक 12.7.17 को अपील स्वीकार की जाकर आदेश पारित हुआ था। उक्त पारित आदेश का तहसील न्यायालय द्वारा समयानुसार पालन नहीं किया गया अर्थात गैरनिगराकार कमांक –1 ता 3 के नाम राजस्व अभिलेखों से विलोपित नहीं की गयई जिससे अनावेदकगण अनावेदकगणों की स्वामित्व व कब्जे दखल की भूमि 29 1/4 डि0 भूमि को अपनी भूमि बताकर निरस्त अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसमें अपील मेमों में अथवा अलग से अपील में म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 का	

आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जिसके उपरांत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा स्थगन न मांगते हुये भी अनावेदक को दिनांक 5.8.2017 को स्थगन जारी कर दिया गया इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदकगण के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क किया गया है कि अनावेदकगण द्वारा अपील मेमों के साथ स्थगन प्राप्त करने हेतु धारा 52 का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था दायरा तहस में अनावेदकगण द्वारा स्थगन की मांग नहीं की गई थी, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.8.17 के खण्ड –4 में **"सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में होने स अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 29/अ–6/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 12.7.17 का कियान्वयन आगामी तिथि के लिये स्थगित किया जाता है। का उल्लेख किया गया है।"** उनके द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा विधि विरूद्व अंतिरिम आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1243/अपील/1978–79 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 5.8.2017 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गयां है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदकगण

के पिता अर्जुनदास द्वारा अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की भूमि का अंश भाग 15 डि0 भूमि अन्य व्यक्तियों लक्ष्मणदास एवं सुरेश कुमार तथा सुनील कुमार को विक्रय कर दिया है। शेष 29 1/4 डि0 भूमि में आवेदकगण के पिता काबिज दखील बने रहे पिताजी की मृत्यु उपरांत आवेदकगण वारिसाना हक में 29 1/4 डि0 भूमि में काबिज दखील है तथा निगरानीकर्तागण के हक में दिनांक 30.4.2016 को वारिसाना नामांतरण होकर राजस्व अभिलेखों में बतौर भूमिस्वामी के निगरानीकर्तागण के नाम दर्ज है, निगरानीकर्ता के स्वत्व व कब्जे दखल की भूमि आराजी न0 318/4 रकवा 29 1/4 डि0 पर काबिज है। अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा में अपील दायर की तथा उनके द्वारा अपील मेमों में अथवा प्रथक से म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा –52 का आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया और न ही उसके साथ शपथपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया उसके पश्चात अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा दिनांक 5.8.2017 को स्थगन जारी करने में त्रुटि की गई है । परिणामस्वरूप अनावेदकगण द्वारा अपनी अपील मेमों में धारा 52 का उल्लेख नहीं है अथवा प्रथक से कोई आवेदन अनुतोष पाने के लिये प्रस्तुत नहीं किया, इससे त्रुटिपूर्ण आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1243/अपील/1978–79 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5.8.2017 का निरस्त किया जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।